



# उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/3219-3808 दिनांक: 19 मई, 2010

अत्यन्त महत्वपूर्ण/तत्काल/स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएँ ।

विषय: प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में अध्ययनरत आरक्षित वर्गों एवं सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क की बकाया धनराशि भुगतान किये जाने की अद्यतन स्थिति के संबन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1324/सोलह-1-2010-1-61/2010 दिनांक 11 मई, 2010 द्वारा पुनः अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में अध्ययनरत निर्धारित रुपये एक लाख की आय सीमा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में शिक्षण शुल्क की धनराशि सम्बन्धित विभाग के स्तर से प्रतिपूर्ति किये जाने के संबन्ध में समस्त संस्थाओं की श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं । शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में आपसे अनुरोध है कि वांछित सूचना संलग्न प्रारूप में कालेज लागिन के माध्यम से अविलम्ब अपलोड कराने का कष्ट करें ताकि शासन स्तर से बकाया धनराशि की प्रतिपूर्ति संबन्धित विभाग से अनुरोध किया जा सके ।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय  
(यू0एस0 तोमर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-1324/सोलह-1-2010-1-61/2010 दिनांक 11 मई, 2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(यू0एस0 तोमर)  
कुलसचिव

संस्थाओं के अवशेष शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की अद्यतन स्थिति

संस्था नाम एवं पता . . . . .

संस्था कोड सहित . . . . .

क्रम सं०	विभाग	वर्ग	सत्र 2008-09 रु०	सत्र 2009-10 रु०
1.	समाज कल्याण विभाग द्वारा देय अवशेष शिक्षण शुल्क	अनु०जाति /अनु० जनजाति		
2.	समाज कल्याण विभाग द्वारा देय अवशेष शिक्षण शुल्क	सामान्य वर्ग		
3.	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा देय अवशेष शिक्षण शुल्क	पिछड़ा वर्ग		
4.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा देय अवशेष शिक्षण शुल्क	अल्पसंख्यक वर्ग		